न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–38 / 2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भेराराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी निम्बली तहसील सिणधरी।		1. मोतीराम पुत्र पुरखाराम 2. जेहाराम पुत्र पुरखाराम 3. केहराराम पुत्र पुरखाराम 4. नाथाराम पुत्र भेराराम 5. सताराम पुत्र भेराराम 6. ठाकराराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी निम्बली। 7. मेनेजर BCCB शाखा सिणधरी। 8. मेनेजर SBI शाखा सिणधरी। 9. तहसीलदार सिणधरी। 10. जोगाराम पुत्र राजूराम 11.मोटाराम पुत्र राजूराम जातियान सुथार निवासीयान निम्बली। 12. राऊराम पुत्र जालाराम जाति जाट निवासी समदडो का तला।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री डालूराम चौधरी वकील वादी।
2. पैरोकार सरकार।
3. प्रतिवादी सं. 5 के वकील उपस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 13.02.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 92/3 रकबा 112.00 हैक्टयर ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी में अवस्थित है उक्त भूमि वादी [illegible] पुश्तैनी एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 की कयशुदा खातेदारी की है। उक्त भूमि में [illegible] हिस्सा वादी का 728/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 से 5 का तथा [illegible] हिस्सा प्रतिवादी सं 6 का है इसी अनुसार पक्षकारवादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त [illegible] करते आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने एवंश्प्रत्येक खातेदार का हिस्सा विभाजित नहीं होने से पक्षकारान के मध्य वाद विवाद रहता है और वादी को अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु सहकारी संस्थाओं से ऋण आदि लेने में अडचने आती है अतः वादी ने वाद घोषणा अपने 129/415 हिस्से की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:01 IST
Reason: Self Attested

हस्तक्षेप नहीं किया जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये समन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 4, 5 व 10,11 की तरफ से वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया तथा प्रतिवादी सं 6 की और से वकील श्री जोगराज पोटलिया ने जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वाद के तथ्यो का खण्डन करते हुए वादग्रस्त भूमि में अपना 2833/4703 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं 1 से 5 का 1873/4703 होना बताकर अपने 2833/4703 हिस्से की भूमि माफिक कब्जा काश्त प्रथक करने बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड अपने हिस्से की भूमि को प्रथक करवाने तथा वादी एवं शेष प्रतिवादींगण के विरूद्ध अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कियो जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

कि अपने काउटर क्लेम में प्रतिवादी सं 6 ने वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नम्बर 92 रकबा 308.09 बीघा भूमि में से 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार कुम्पा, तुलछा व देवा पिसरान चोला में से कुम्पा की 1/3 हिस्से की 102.16 बीघा भूमि पृथक होने के बाद शेष 205.13 बीघा जो चोला के दो शेष पुत्रो तुलछा व देवा की बहिस्सा बराबर खातेदारी की थी, मे से हुए प्रथक–प्रथक बेचानों एवं कुछ बेचानों के आधार पर कायम हुए पृथक खातो का हवाला देते हुए निवेदन किया है कि कुम्पा द्वारा किये गये 36 बीघा भूमि के बेचान सहित उसके कुल हिस्से की 102.16 बीघा भूमि पृथक होने के बाद शेष 205.13 बीघा भूमि में से 102.17 बीघा भूमि तुलछा की एवं 102.16 बीघा भूमि देवा की शेष रही। बाद में तुलछा द्वारा 32 बीघा भूमि का उदाराम पुत्र डुंगराराम को तथा तुलछा के फौत होने के बाद उसके वारिशान भेरा व श्रीमति खेतु द्वारा 24.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं 1 व 2 को बेचान करने के बाद भेरा व श्रीमति खेतु के हिस्से में 46.17 बीघा भूमि शेष रही और यहा तक देवा की 102.16 बीघा भूमि यथावत रही। पुनः देवा द्वारा पुनमा पुत्र भीयाराम को 32.00 बीधा भूमि का बेचान करने से देवा के हिस्से में 70.16 बीघा भूमि शेष रहीं। इसके बाद खसरा नम्बर 92/3 के खातेदारान् द्वारा उक्त खसरे में से 5.12 बीघा भूमि रास्ते हेतु राज्य सरकार के हक में समर्पण करने से भूमि अनुपातिक रूप से कम होकर भेरा व श्रीमति खेतु की 44.12 बीधा एवं देवा पुत्र चोला की 67.09 बीघा भूमि रहीं। भेरा ने उक्त भूमि में अपना 44.12 हिस्सा होने के बावजूद पृथक–पृथक बेचानों से जो 71.04 बीघा भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 10 से 12 को बेचान कर दिया, जो उसके वास्तविक हिस्से से 26.12 बीघा अधिक है, जो प्रतिवादी सं. 6 की है। अतः प्रतिवादी सं. 6 अपने हिस्से की 67.08 बीघा भूमि अपनी खातेदारी में घोषित करवाने, तथा वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने कब्जा काश्त में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। प्रतिवादी सं. 9 की ओर से पेरोकार नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय सिणधरी तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

5 से 6 के वकील उपस्थित हुए और शेष प्रतिवादीगण बावजुद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी के वाद एवं प्रतिवादी सं. 6 के काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्नानुसार 1 से 7 तनकियात कायम की गई– वादी की और से मौखिक साक्ष्य हेतु प्रयाप्त अवसर दिये जाने के बावजुद उसके द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रतिवादी सं 6 की और से स्वयं ठाकराराम पुत्र देवाराम DW-1 एवं ठाकराराम पुत्र चेतनराम DW-2 द्वारा मोखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी सं 6 की और दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा नम्बर 92/3 की दजमाबंदी चालू EXP-1, उक्त भूमि का नक्शा EXP -2 नामान्तरकरण सं 22 मौजा निम्बली EXP -3 नामान्तरकरण सं 32 मौजा निम्मली EXP -4 नामान्तरकरण सं 50 मौजा निम्बली EXP -5 नामान्तरकरण सं 62 मोजा निम्मली EXP -6 नामान्तरकरण सं 64 मौजा निम्बली EXP -7 नामान्तरकरण सं 81 मौजा निम्बली EXP EXP -8 नामान्तरकरण से 178 मौजा निम्बली EXP -9 नामान्तरकरण सं 179 मौजा निम्बली EXP–10 नामान्तरकरण सं 11 मौजा निम्बली EXP -11 रजिस्ट्री सं 1608/75, 1862/80, 216/84, 317/02, 325/03, 187/07 कमशः EXP–12 से EXP -17, जमाबंदी खसरा नम्बर 92/3 दिनांक 21/01/2021 EXP–18 तथा उसी तिथी को जारी नक्शा EXP -19 प्रस्तुत किये।

बहस सुनी गई।

वकील वादी की बहस है कि ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी के खसरा नम्बर 92/3 रकबा 112.00 बीघा भूमि में वादी का 129/415 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 से 5 का 728/2241 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं 6 का 857/2353 हिस्सा होने तथा इसी अनुसार खातेदारान का कब्जा काश्त होने से वादी अपने 129/415 हिस्से की भूमि बाद घोषणा माफिक कब्जा काश्त प्रथक करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने कब्जा–काश्त में हस्तक्षेप नहीं किया जाने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है।

इसके विपरित वकील प्रतिवादी सं 6 की बहस है कि वादग्रस्त भूमि में समय–समय पर हुए बेचानों, समर्पण, मूल खसरे के विभाजन तथा वादी द्वारा अपने वास्तविक धारित रकबे से अधिक किये गये बेचानों जो विधिक रूप से शून्य एवं निष्प्रभावी है के बाद उक्त भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में 200/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 1 का, 200/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 2 का, 40/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 3 का, 1349/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 6 का, 6/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 10 व 11 का व 446/2241 हिस्सा प्रतिवादी सं 12 का है। इसी अनुसार पक्षकार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। प्रतिवादी सं 6 अपने हिस्से की 337/560 हिस्सा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:01 IST
Reason: Self Attested

भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी है

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध बतौर मौखिक साक्ष्य गवाहन द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यो का विधि के परिपेक्ष में तनकीवार विवेचन किया।

तनकी सं 1— वादी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 92/3 रकबा 112.00 बीघा मौजा निम्बली में अपना 129/415 हिस्सा घोषित किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्व है। वादी ने अपने इस कथन के समर्थन में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उसकी इस दलील का आधार वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ही है। किन्तु प्रतिवादी सं 6 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा निषादित बेचान पत्रो, नामान्तरकरणों आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा किये गये बेचानों के बाद न केवल उसका हिस्सा वादग्रस्त भूमि में रहा है। बल्कि उसके द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 10 से 12 को किये गये बेचानों में अपने वास्तविक धारित रकबे से अधिक भूमि का बेचान किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में वादी का उसके द्वारा निष्पादित बेचानो के बाद किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रहा है। अतः विभाजन किये जाने का प्रश्न ही नहीं है लिहाजा तनकी सं 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं 2— वादी की स्थायी निषेधाज्ञा की इस्तदुआ से सम्बद्व है चूकिं तनकी सं 1 के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः उसके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा डिकी जारी किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अतः तनकी सं 2 भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं 3— वादग्रस्त भूमि में अपना 337/560 हिस्सा घोषित करवाने की प्रतिवादी सं 6 की इस्तदुआ से सम्बद्व हैं जिसे सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी सं 6 पर है। प्रतिवादी सं 6 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों यथा बेचान पत्र, नामान्तकरण, समर्पण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं 6 का वादग्रस्त भूमि में 337/560 हिस्सा है मौखिक साक्ष्यों के अभिकथनों के मुताबिक उक्त भूमि पर उसका इसी अनुसार कब्ज़ा काश्त है। लिहाजा 337/560 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं 6 के नाम घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादी सं 6 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

तनकी सं. 4 व 6— तनकी सं. 4 प्रतिवादी सं. 6 की अपने हिस्से की भूमि पृथक किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्व है, किंतु प्रतिवादी सं. 6 ने दिनांक 24.01.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विभाजन की इस्तदुआ निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर तनकी सं. 4 निरस्त की जाती है। चूंकि प्रतिवादी सं. 36 वादग्रस्त भूमि में अपना 337/560 हि. घोषित करवाने में सफल हो चुके है। अतः उसके पक्ष में स्थायी

निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी सं 6 प्रतिवादी सं 6 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी सं. 5– तनकी सं 5 वादी द्वारा अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि के किये गये बेचानों को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने की प्रतिवादी सं 6 की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी सं 6 पर है। पत्रावली पर उपलब्ध तमाम दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने हक में 44.12 बीघा भूमि होने के बावजूद उसके द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं 10 से 12 को पृथक–पृथक बेचान पत्रों के जरिये 71–04 बीघा भूमि का अर्थात अपने वास्तविक हिस्से से 26–12 बीघा भूमि का अधिक बेचान किया है, जो वास्तव में प्रतिवादी सं. 6 के हक की है। अतः उक्त 26.12 बीघा भूमि का बेचान शून्य व निष्प्रभावी घोषित करते हुए प्रतिवादी सं. 6 की खातेदारी में दर्ज की जाना उचित हैव। लिहाजा तनकी सं. 5 प्रतिवादी सं. 6 के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा किये गये बेचानों के बाद न केवल उसका हक हिस्सा शेष रहा है, बल्कि उसने अपने वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से 3 व 10 से 12 को बेचान किया है, अतः उक्त बेचानशुदा भूमि में उसके वास्तविक हिस्से से अधिक भूमि की आनुपातिक रूप से कम किया जाना न्यायोचित है, ताकि कोई भी क्रेता अपने कब्जे की भूमि से पूर्णतः महरूम नहीं हो और उन्हें अपनी निर्मित रहवासी ढाणियों से बेदखल नहीं होना पड़े। तदनुसार प्रतिवादी सं. 1 का 10.00 बीघा के बजाय 6.05 बीघा, प्रतिवादी सं. 2 का भी 10.00 बीघा के बजाय 6.05 बीघा, प्रतिवादी सं. 3 का 2.00 बीघा के बजाय 1.06 बीघा, प्रतिवादी सं. 10 का 7.04 बीघा के बजाय 4.10 बीघा, प्रतिवादी सं. 11 का भी 7.04 बीघा के बजाय 4.10 बीघा एवं प्रतिवादी सं. 12 का 34.16 बीघा के बजाय 21.16 बीघा बनता है। इस अनुसार खातेदारी घोषित किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है तथा ग्राम निम्बली तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 92/3 रकबा 18.1297 हैक्टयर भूमि में वादी की खातेदारी निरस्त की जाती है। वादी द्वारा उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं 10 से 12 को अपने वास्तविक हिस्से से अधिक किये गये [illegible] की जाती है। प्रतिवादी सं. 6 का काउन्टर क्लेम [illegible] उक्त भूमि में 25/448 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 की, 25/448 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 की, 7/[illegible]00 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 की, 9/224 हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 की, 9/224 हिस्सा प्रतिवादी सं. 11 कर, 109/560 हि. प्रतिवादी सं. 12 की एवं 337/560 हिस्सा प्रतिवादी सं. 6 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। वादी एवं शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 6 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested

कब्जा काश्त मे दखलदाजी नही किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.04 14:58:01 IST
Reason: SelfAttested